



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर अपहरण कर हत्या व एससी/एसटी एक्ट के अभियोग में 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 2,40,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0-421/2022 धारा-147,302/34,364A भा0द0सं0 व धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1.भान सिंह उर्फ किल्टा पुत्र जय सिंह 2.प्रवेन्द्र पुत्र जय सिंह निवासी गोहनी थाना मझगवां हमीरपुर 3.आलोक पुत्र हरी सिंह नि0 कुल्हैडा थाना मझगवां हमीरपुर 4.जितेन्द्र सिंह पुत्र रामकुमार नि0 बंगरा थाना चिकासी को धारा 302/34,364A भा0द0सं0 व धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में दोषसिद्ध करते हुये प्रत्येक को आजीवन कारावास व ₹ 2,40,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
विशेष लोक अभियोजक
विजय सिंह



विवेचक-
सीओ प्रमोद कुमार



पैरोकार- थाना राठ
का0 सर्वज्ञ सिंह